



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: फरवरी, 2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
सालडीह बस्ती, आदित्यपुर, सरायकेला-खरसावां,
झारखंड-831013

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, आदित्यपुर (झारखंड) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by

Shyam Kumar

Date: 20-02-2025

(श्याम कुमार)

17:56:37

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-॥ भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: फरवरी, 2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
देसूला, एमआईए, अलवर (राजस्थान)-301030

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अलवर (राजस्थान) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar

Date: 20-02-2025

(श्याम कुमार)
17:52:04

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: फरवरी, 2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल,
सर्किट हाउस के पीछे, ताराबाई पार्क,
कोल्हापुर-416003 (महाराष्ट्र)

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, कोल्हापुर (महाराष्ट्र) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 02.07.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar

Date: 20-02-2025

(श्याम कुमार)

17:49:36

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: फरवरी, 2025

सेवा में,

चिकित्सा अधीक्षक,
कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल,
एनएच-3, एन.आई.टी., फरीदाबाद-121001 (हरियाणा)

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 21.08.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar

Date: 20-02-2025

(श्याम कुमार)
17:45:23

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)



मुख्यालय/Headquarters
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



पंचदीप भवन, सी.आई.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, C.I.G. Marg, New Delhi-110002
ईमेल/Email: rajbhasha-hq@esic.nic.in
वेबसाइट/Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

संख्या:ए-49/11/01/2019-रा.भा.अधिसूचित कार्यालय(इकाई)

दिनांक: फरवरी, 2025

सेवा में,

उप निदेशक (प्रभारी),
उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम,
6-1-77/ए, के.टी. रोड, वरदराजनगर, तिरुपति-517501

विषय: राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत निगम इकाइयों को अधिसूचित करना।

महोदय/महोदया,

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत उप क्षेत्रीय कार्यालय, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, तिरुपति (आंध्र प्रदेश) के 80% से अधिक कर्मिकों द्वारा हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने पर इसे अधिसूचित कर दिया गया है। इस संबंध में श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्राप्त अधिसूचना संख्या ई-11016/1/2022-रा.भा.नी., दिनांक 21.08.2024 की छायाप्रति संलग्न है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

Digitally signed by
Shyam Kumar

Date: 19-02-2025

(श्याम कुमार)

15:22:52

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. आर्थिक सलाहकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली को सूचनार्थ।
2. सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, एन.डी.सी.सी.-II भवन, 'बी' विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-110001
3. बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)
4. सभी अपर आयुक्त एवं क्षेत्रीय निदेशक/निदेशक/प्रभारी संयुक्त निदेशक/प्रभारी उप निदेशक, क.रा.बी.निगम क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय।
5. निदेशक(चिकित्सा) दिल्ली/नोएडा/के.के. नगर, क.रा.बी.निगम।
6. सभी चिकित्सा अधीक्षक, क.रा.बी.निगम अस्पताल/आदर्श अस्पताल।
7. सभी संकायाध्यक्ष, चिकित्सा महाविद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय/दंत्य महाविद्यालय, स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान, क.रा.बी.निगम।
8. वेबसाइट सामग्री प्रबन्धक को इसे क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

संयुक्त निदेशक(राजभाषा)

| | |
|--|--|
| के लिए: | पढ़ा जाए: |
| Employees' State Insurance Corporation | Employees' Provident Fund Organisation |

[सं. ई-11016/1/2022-रा.भा.नी.]

नागेश कुमार सिंह, उपमहानिदेशक

New Delhi, the 2nd July 2024

(Hindi Section)

CORRIGENDUM

S.O. 1346.—In this Ministry's notification of even number S.O. 491 dated 01.11.2023 published on 16th March, 2024 in the Gazette of India, the name of the offices at serial numbers 01 to 07 may be read as following:—

| | |
|--|--|
| For: | Read: |
| Employees' State Insurance Corporation | Employees' Provident Fund Organisation |

[No. E-11016/1/2022-RBN]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई 2024

का.आ. 1347.—केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, आदित्यपुर, झारखंड
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, अलवर (राजस्थान)
3. कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल, कोल्हापुर

[सं. ई-11016/1/2022-रा.भा.नी.]

नागेश कुमार सिंह, उपमहानिदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July 2024

S.O. 1347.—In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Adityapur, Jharkhand
2. Employees' State Insurance Corporation Medical College and Hospital, Alwar (Rajasthan)
3. Employees' State Insurance Corporation Hospital, Kolhapur

[No. E-11016/1/2022-RBN]

NAGESH KUMAR SINGH, Dy. Director General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA
NATH YADAVA
Digitally signed by
GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2024.07.18 13:29:09
+05'30'

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
(हिन्दी अनुभाग)


[भारत के राजपत्र, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर 2024

अधिसूचना

सं.ई-11016/1/2022-रा.भा.नी: केंद्र सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (यथा संशोधित, 1987) के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में, श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रणाधीन निम्नलिखित कार्यालयों को, जिनके 80 प्रतिशत से अधिक कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, एतद्वारा अधिसूचित करती है:

1. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, फरीदाबाद (हरियाणा)
2. कर्मचारी राज्य बीमा निगम उप क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुपति



(नागेश कुमार सिंह)
उपमहानिदेशक

सेवा में,

प्रबंधक

भारत सरकार मुद्रणालय
मायापुरी, रिंगरोड,
नई दिल्ली

प्रतिलिपि:

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संयुक्त निदेशक (राजभाषा), कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली

सं.ई-11016/1/2022-रा.भा.नी.

(नागेश कुमार सिंह)
उपमहानिदेशक

Government of India
Ministry of Labour and Employment
(Hindi Section)


(To be published in the Gazette of India, Part II, Sub Section (ii) of Section-3)

New Delhi, 21 October 2024

NOTIFICATION

No. E-11016/1/2022-RBN: In pursuance of Sub-Rule (4) of Rule 10 of the Official Language (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976 (as amended, 1987) the Central Government hereby notifies the following offices under the administrative control of the Ministry of Labour & Employment, more than 80% Staff whereof have acquired working knowledge of Hindi:-

1. Employees' State Insurance Corporation Medical College and Hospital, Faridabad (Haryana)
2. Employees' State Insurance Corporation Sub Regional Office, Tirupati


(Nagesh Kumar Singh)
Deputy Director General

To

The Manager
Government of India Press,
Mayapuri, Ring Road
New Delhi

Copy to:

1. All Ministries & Departments of the Govt. of India
2. Joint Director (OL) ESIC, New Delhi

No. E-11016/1/2022-RBN
(Nagesh Kumar Singh)
Deputy Director General